162

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक पीबीआर/अपील/धार/भू.रा./17/3500 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 558/अपील/2016–17.

फुलुबाई पति जगदीश राजपूत
निवासी ग्राम उरदना तहसील मनावर
जिला धार
.....अपीलार्थी

विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी
सरदार सरोवर परियोजना मनावर .....प्रत्यर्थी

श्री दुर्गेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/2/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 107(5), 116 एवं 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की ग्राम पेरखड़ तहसील मनावर जिला धार की कृषि

भूमि सर्वे नम्बर 224/6/3 रकबा 1.045 हेक्टेयर के संबंध में नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 11–8–2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–9–2017 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) फुलुबाई पति जगदीश मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है तथा मौका अनुसार उक्त भूमि का नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अत्यन्त ही तकनीकी रूप से आवेदन को निरस्त किया गया है और आवेदन की विषयवस्तु को नजरअंदाज किया है ।

(3) प्रकरण में अपीलार्थी को आसपास की भूमि मालिकों को मुआवजा प्राप्त होने की जानकारी पर अपीलार्थी की भूमि डूब प्रभावित होने के संबंध में सहज ज्ञान होने से उसके द्वारा सरदार सरोवर परियोजना सुनवाई शिकायत निवारण प्राधिकरण इंदौर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26–12–15 को अपीलार्थी को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कार्यालय की ओर से नक्शा उपलब्ध कराया गया जिससे अपीलार्थी को त्रुटिपूर्ण नक्शे के संबंध में जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा विधि पूर्ण ढॅग से समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार पूर्व में भू–अर्जन डूब क्षेत्र में अपीलार्थी की भूमि आने पर जनस्तर एवं मुआवजा के संबंध में ज्ञान नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा पूर्व में आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(4) अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय के त्रुटिपूर्ण नक्शे इंद्राज से अपीलार्थी की भूमि डूब प्रभावित होते हुये भी उसे मुआवजे से वंचित होना पडा है क्योंकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्व विभाग के नक्शे अनुसार सूची तैयार की है । प्रकरण में त्रुटिपूर्ण नक्शे से अपीलार्थी को अपरिमित क्षति हो रही है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेचना किये प्रकरण को आधारहीन मानने में गंभीर भूल की गई है ।

(5) अंत में उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–17 अपास्त करने एवं अपीलार्थी की कृषि भूमि का मौके अनुसार नक्शा तरमीम कराये जाने के आदेश देने हेतु निवेदन किया गया ।

तर्क के समर्थन में 2015 आरएन 560 व 2012 आरएन 14 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होकर वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष द्वारा प्रश्नाधीन भूमि ग्राम पेरखड तहसील मनावर स्थित सर्वे कमांक 224/6/3 रकबा 1.045 हेक्टेयर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 13–4–2009 को क्रय की गई है । जिसका भू–अर्जन के समय भी आवेदक के पूर्व भूमिस्वामी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । तहसीलदार मनावर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है । उसके पूर्व भूमिस्वामियों द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा था । प्रश्नाधीन भूमि क्रय करने के लगभग 7 वर्ष पश्चात् नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं बताये जाने के कारण अपर कलेक्टर जिला धार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्ताक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर